



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 44741 वर्ष 2025

मनीष कुमार कुशवाहा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	राकेश कुमार
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

कोर्ट संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. राय को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह वर्तमान जमानत याचिका, आवेदक मनीष कुमार कुशवाहा की ओर से इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि उन्हें, पुलिस थाना कर्वी कोतवाली नगर, जिला चित्रकूट में पंजीकृत, उत्तर प्रदेश गिराहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत दर्ज आपराधिक मामला संख्या 433/2025 में, विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गलत इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसके आपराधिक इतिहास के पांच मामलों के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिराह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है, और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में सूचीबद्ध किसी गिराह की गतिविधियों में न तो कोई उकसावा दिया है और न ही कोई सहायता की है। उपरोक्त मामले के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह निवेदन किया गया है कि इस बात की भी कोई संभावना नहीं है कि आवेदक न्यायिक प्रक्रिया से भाग जाएगा या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा। आवेदक, जो 23.09.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता . ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों के अलावा, आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य मामले की ओर संकेत नहीं किया है।।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए सबूतों पर विचार करने के बाद, और साथ ही अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान ज़मानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक, मनीष कुमार कुशवाहा को उपर्युक्त मामला अपराध संख्या में ज़मानत पर रिहा किया जाए; इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करने होंगे, और उसे निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक उन तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा जो (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने, और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई हैं।



(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह सबूतों के लिए तय की गई तारीखों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत अर्जी के निपटारे तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। निचली अदालत, इस आदेश में कही गई बातों से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

16 जनवरी, 2026

दीपक/

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव